न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37/2017 राजस्व अपील

1. भोलाराम पुत्र गोपाल जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार उपतहसील सिकन्दरा निर्णय दिनांक 30.01.2017 मुकदमा नं0 157/2017 सरकार बनाम भोलाराम अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट।

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :– दिनांकः 23.10.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित खसरा नंबर 1089 रकबा 0.02 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर मकान व पुख्ता बाउन्ड्री बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 30.01.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश दिनांक 30.01.2017 व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की पत्नि गुडडी देवी के नाम एक भूखण्ड ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है उक्त भूखण्ड के चारो ओर बाउन्ड्रीबाल लगा रखी है। तथा तीन कमरे व एक रसोई बना रखी है। इस भूखण्ड की कुल नाप 1054 वर्गगज है जिसमे से 754 वर्गगज भूमि जिरये विक्रय पत्र दिनांक 04.09.2012 को अपीलान्ट की पत्नि गुडडी देवी के नाम से रामजीलाल पुत्र नाथूलाल व हरिसिहं, विश्राम, दानाराम जाति माली

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा से खरीद किया है व 150 वर्गगज भूमि जरिये इकरारनामा लल्लूराम पुत्र नाथूराम जाति माली निवासी सिकन्रा तहसील सिकराय जिला दौसा से दिनांक 04.09.2012 को खरीद किया है एवं 150 वर्गगज जमीन भी दानाराम पुत्र गंगाराम जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा से जरिये इकरारानामा दिनांक 04.09.2012 को अपीलान्ट ने अपनी पत्नि गुडडी देवी के नाम से खरीद किया है। रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलान्ट की पत्नि के नाम 1054 वर्गगज भूमि का भूखण्ड ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित है इस भूमि से किसी का कोई लेना देना व हक सरोकार नही है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा दिनांक 30.01.2017 को प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित खसरा नंबर 1089 रकबा 0.02 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर मकान व पुख्ता बाउन्ड्री बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलाण्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित किये जाने के आदेश दिनांक 30.01.2017 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये है। व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान उक्त प्रश्नगत गैर मुमकिन भूमि रास्ता पर अतिक्रमण नही किया जाना एवं अपीलान्ट द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय की गई स्वयं की भूमि पर ही निर्माण किया जाना व्यक्त किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान कराया जाकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित था। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए मौके पर सीमाज्ञान कर विधि प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा